



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 03.08.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 243/25 धारा 305/324(4) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 एसी की चोरी किये हुए कॉइल् बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.08.25 को थाना खेकड़ा पर वादी पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री मांगेराम निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 01.08.2025 को बाईस्तवा अभियुक्त



1.राहुल, 2.सूरज पुत्रगण सुभाष, 3.विक्की पुत्र बब्बू निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा उसकी फोटोफ्रेम फैक्ट्री के अन्दर से विंडो एसी को तोड़कर उसके अन्दर से कॉपर का सारा सामान चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 243/25 धारा 305/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 243/25 धारा 305/324(4) बीएनएस से

सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 एसी के चोरी किये हुए कॉइल् बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है व थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-राहुल पुत्र सुभाष निवासी पट्टी मुण्डाला थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-सूरज पुत्र सुभाष निवासी पट्टी मुण्डाला थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-निककी उर्फ विक्की पुत्र बब्बू उर्फ बबलू निवासी काशीराम कॉलोनी करम्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 382/19 धारा 380/457/411/427 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 95/22 धारा 379 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 100/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 470/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 471/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 6-मु0अ0सं0 75/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0सं0 243/25 धारा 305/324(4)/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त निककी का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 364/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 243/25 धारा 305/324(4)/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 एसी के चोरी किये हुए कॉइल् ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री कपिल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 428 कपिल रावत थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 634 योगेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-है०का० 816 शौकेन्द्र नागर थाना खेकडा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 03.08.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 229/25 धारा 191(2)191(3)/190/109(1) /117(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कैन का ढक्कन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.07.2025 को थाना खेकडा पर वादी कृपाल सिंह पुत्र श्री ब्रह्म सिंह निवासी पट्टी तलहटी अहिरान कस्बा खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. विकास उर्फ बबली, 2. मोतीराम, 3. मोदीराम पुत्रगण कालूराम, 4. गजेन्द्र, 5.



सतवीर, 6. सतपाल पुत्रगण बाबूराम, 7. बिट्टू पुत्र सतवीर, 8. ऊदित पुत्र विकास व 02 महिला निवासीगण पट्टी तलहटी अहिरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी-डन्डों व धारदार हथियार से लैस होकर रंजिशन उसके भतीजे नितिन व नीरज पुत्रगण स्व0 नरेशचन्द पर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें दोनों के चोटें आयीं हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 229/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 229/25 धारा 191(2)191(3)/190/109(1)/117(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कैन का एक ढक्कन बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विकास उर्फ बबली पुत्र कालूराम निवासी पट्टी अहिरान करम्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त कैन का एक ढक्कन।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 367/17 धारा 323/504/506 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 431/20 धारा 147/323/427/452/504/506 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 4-का0 555 रवि कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 03.08.2025

बागपत पुलिस ने 12 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 12 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- मुस्कुरान पुत्र मोहब्बत निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- कासिम पुत्र रीशा उर्फ रहीस निवासी ग्राम भड़ल थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3- पंकज पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम सन्तनगर थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4- सचिन बच्ची पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5- घसीटा पुत्र सतवीर निवासी ग्राम बाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6- जुनैश पुत्र सिराज निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7- योगेश पुत्र महेन्द्र निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8- ओमकार पुत्र जगवीर निवासी ग्राम किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत।



- 9- तेजपाल सिंह पुत्र वेद सिंह निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत।
10- रामफल पुत्र फेरु निवासी पट्टी आमराण ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।
11- बिजेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
12- रुस्तम पुत्र सीमरु निवासी मवीकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना बड़ौत पुलिस टीम । (04 वारंटी)
2-थाना रमाला पुलिस टीम । (04 वारंटी)
3-थाना दोघट पुलिस टीम । (02 वारंटी)
4-थाना बिनौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)
5-महिला थाना पुलिस टीम । (01 वारंटी)

